

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत


1. ग्राम: हैजदा एवं कुटकी थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1501 दिनांक. 26.5.1990 के तहत
 - क. झरी गंडु पिता रघु गंडु वगैरह ग्राम: हैजदा, थाना सं: 94, (रैयती) खाता सं. 13 के अधीन प्लॉट सं. 322, 323, 324, 325, 326, 336, 337, 339, एवं 336/552, कुल रकबा 3.35 एकड़।
 - ख. झरी गंडु वगैरह पिता रघु गंडु वगैरह ग्राम: हैजदा, थाना सं: 94 (रैयती) खाता सं. 43 के अधीन प्लॉट सं. 164, कुल रकबा 0.35 एकड़।
 - ग. झरी गंडु वगैरह पिता रघु गंडु वगैरह ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95, (रैयती) खाता सं. 42 के अधीन प्लॉट सं. 96, 99, 100, 102, 473 एवं 480, कुल रकबा 8.41 एकड़।
कुल रैयती भूमि (क + ख + ग) = 12.11 एकड़ के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गई है।


2. ऊपर उल्लेखित भूमि

- क. ग्राम हैजदा, थाना सं: 94, अंतर्गत खाता सं. 13, प्लॉट न. 322, 323, 324, 325, 326, 336, 337, 339 एवं 336/552, कुल रकबा 3.35 एकड़ एवं खाता सं. 43 के अधीन प्लॉट सं. 164, कुल रकबा 0.35 एकड़ है और यह भूमि खतियानी है और खतियानी रैयत पचाटी पाहन पिता अतवा राम पाहन, जंजाली पाहन पिता रीतु पाहन, जोधन पाहन पिता गिरधारी पाहन पचाती पाहन को छोड़कर जंजाली पाहन एवं जोधन पाहन के उतराधिकारी झरी गंडु, पिता रघु गंडु, रामदयाल गंडु, सीताराम गंडु, रामसहाय गंडु पिता नन्दु गंडु, सुधवा गंडु, मधु गंडु, रधवा गंडु, करमा गंडु, पिता राणा गंडु लक्ष्मण गंडु, दीमन गंडु, अमृत गंडु, पिता नन्दवा गंडु एवं मोस्मात मंगरी पति जोधन गंडु है एवं वंशावली के अनुसार उल्लेखित भूमि झरी गंडु वगैरह पिता रघु गंडु वगैरह के हिस्से में आती है।
- ख. ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95, ग्राम हैजदा अंतर्गत (रैयती) खाता सं. 42 के अधीन प्लॉट सं. 96, 99, 100, 102, 473 एवं 480, कुल रकबा 8.41 एकड़ है और यह भूमि खतियानी है और खतियानी रैयत पचाटी पाहन पिता अतवा राम पाहन, जंजाली पाहन पिता रीतु पाहन, जोधन पाहन पिता गिरधारी पाहन पचाती पाहन को छोड़कर जंजाली पाहन एवं जोधन पाहन के उतराधिकारी झरी गंडु, पिता रघु गंडु, रामदयाल गंडु, सीताराम गंडु, रामसहाय गंडु पिता नन्दु गंडु, सुधवा गंडु, मधु गंडु, रधवा गंडु, करमा गंडु, पिता राणा गंडु लक्ष्मण गंडु, दीमन गंडु, अमृत गंडु, पिता नन्दवा गंडु एवं मोस्मात मंगरी पति जोधन गंडु है एवं वंशावली के अनुसार उल्लेखित भूमि झरी गंडु वगैरह पिता रघु गंडु वगैरह के हिस्से में आती है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: हैजदा, थाना सं: 94; जिला :- चतरा, (रैयती) खाता सं. 13 के अधीन प्लॉट सं. 322, 323, 324, 325, 326, 336, 337, 339, एवं 336/552, कुल रकबा 3.35 एकड़, (रैयती) खाता सं. 43 के अधीन प्लॉट सं. 164, कुल रकबा 0.35 एकड़ एवं ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95, (रैयती) खाता सं. 42 के अधीन प्लॉट सं. 96, 99, 100, 102, 473 एवं 480, कुल रकबा 8.41 एकड़ जो क्रमशः झरी गंडु पिता रघु गंडु वगैरह, झरी गंडु वगैरह पिता रघु गंडु वगैरह एवं झरी गंडु वगैरह एवं अन्य पिता रघु गंडु वगैरह, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


25/01/2022


25/01/2022

(sd/-)

महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व),
CCL, राँची